राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2700872, E-mail: shaladarpanjpr@gmail.com, rmsaccr@gmail.com

क्रमांक : रामाशिअ / जय / शालादर्पण / 2018 / 227 दिनांकः 12 / 06 / 2018

1. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर (राजस्थान)
2. निदेशक सीमेट गोनेर, जयपुर।
3. सचिव राजस्थान स्टेट ओपन स्कू ल् राजस्थान।
4. समस्त उपनिदेशक,जिला शिक्षा अधिकारी मा. शि. कार्यालय राजस्थान।
5. समस्त उपनिदेशक,जिला शिक्षा अधिकारी,ब्लाक प्रा. शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रा. शि. राजस्थान।
6. अति. राज्य परियोजना समन्वयक रामाशिप समस्त जिले ।
7. अति. राज्य परियोजना समन्वयक राप्राशिप समस्त जिले।

विषय :-शिक्षा विभाग केसमस्त कार्यालयोंको शाला दर्पण परइंटीग्रेटकरनेके सम्बन्ध में।

उपर्युक्तविषयान्तर्गतलेख हैकि शाला दर्पण पर शिक्षा विभाग के प्रत्येक कार्यालयके स्वीकृ तपदों की मैपिंगकी जा चुकी है इस सम्बन्ध मेंउपर्युक्त समस्तकार्यालय निम्नबिंदुओंकी अक्षरशः पालन सुनिश्चितकरे :-

A. उपर्युक्त कार्यालयो में कोई भी कार्मिक शाला दर्पण पर कार्य ग्रहण एवं अन्य प्रविष्टियो से शेष न रहे। इस हेतु दिनांक 20 जून 2018 तक समस्त प्रविष्टियो को शाला दर्पण पर पूर्ण करालेवे

B. समस्त कार्मिको का प्रपत्र-10 (विशेष रूप से कार्मिक का पूर्ण सेवा विवरण) की प्रविष्टियों का इन्द्राज कर, कार्मिक फोटो अपलोड कार्य शाला दर्पण पोर्टल पर अनिवार्यत: रूप से पूर्ण हो।

C. कार्यालय के समस्त कार्मिको की ऑनलाइनकार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण ही मान्य होगी। इसे अनिवार्यत: सुनिश्चित किया जावे, इस हेतु अपने कोष कार्यालयसेसंपर्क करवेतन बिल प्रपत्र-3A की प्रति के आधार पर पारित करवाए जावे एवं आपके कार्यालय में किसी भी कार्मिक की बिना शाला दर्पण पर प्रविष्टी के वेतन बनाये जाने की स्थिति में आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

D. विद्यालयों से एपीओ (आदेशो की प्रतीक्षा में) अथवा निलम्बन होने वाले कार्मिको को शाला दर्पण द्वारा कार्यमुक्त किया जा कर नियुक्ति अधिकारी कार्यालय के शाला दर्पण पर कार्य ग्रहण करवाया जाये तत्पश्चात ऐसे कार्मिको के पुनःप्रदस्थापन आदेश जारी होने पर नियुक्ति अधिकारी स्वयं के शाला दर्पण से ही अन्य विद्यालय / कार्यालय के लिएकार्य मुक्त करे, जिससे कि एपीओ एवं निलम्बन अवधि का रिकॉर्ड भी कार्मिक के प्रपत्र 10 में स्पष्टदर्ज हो सके।

E. विद्यालयों द्वारा कार्मिको को एपीओ की स्थिति में कार्यालयों हेतु कार्य मुक्त किया जाता है लेकिन आपके कार्यालयों द्वारा उन्हेंविद्यालयों से ही कार्यमुक्ति में अपडेट करवा कर सीधे ही नवीन विद्यालय/कार्यालय के लिए कार्य मुक्त करने को कहा जाता है जो कि मान्य नहीं है ।

F. किसी भी कार्मिक को ऑफलाइन कार्य मुक्ति एवं कार्य ग्रहण करवाया जाना अमान्य होगा। इस आशय का प्रमाण पत्र पूर्व में आपसे चाहा गया है, उसे अविलम्ब उपलब्ध करवाया जाना सुनश्चित करवाए।

उपर्युक्तबिन्दुओ कीअनुपालनाकी समस्त जिम्मेदारीकार्यालयाध्यक्षएवं आपके कार्यालयमेंनियुक्तकार्यालयशाला दर्पण प्रभारी की होगी। अतः आपसे से अपेक्षितहैकि आप अपने कार्यालयों में उपर्युक्त कार्यवाही सुनिश्चित करवाए अ
अनुशासनात्मक
कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

(नरेश पाल गंगवार)
प्रमुख शासन सचिव
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग
जयपुर

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाही हेतुप्रेषितहैः-
1. निदेशक मा. शि. राजस्थान, बीकानेर ।
2. निदेशक प्रा. शि. राजस्थान, बीकानेर।
3. राज्य परियोजन निदेशक रामाशिप-जयपुर।
4. आयुक्त राप्राशिप,जयपुर।
5. शाला दर्पण प्रभारी।
6. श्री अविनाश चौधरी प्रभारी अधिकारी ऑफिस लॉग इन शाला दर्पण को देकर लेख है की उक्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड करवाये।
7. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

आभा बेनीवाल
उपायुक्त

(द्वितीय)